



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 श्रावण, 1945 (श०)

संख्या - 480 राँची, रविवार,

13 अगस्त, 2023 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

10 अगस्त, 2023

संख्या- 52/ 2023/एसडीआर/खंड-I--लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड(ग) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक और शारीरिक निःशक्तता (बेंचमार्क) वाले निर्वाचक, जिन्हें राज्य की निर्वाचक नामावलियों के डाटा बेस में पहले से ही चिह्नित/इंगित किया गया हो, और जो डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए आवेदन करते हैं और जो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसके अनुरोध के सत्यापन की शर्त के अधीन हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग-IIIक, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. सं. 3786 (अ.) दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 और इस विषय पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों एवं दिशानिर्देशों के जरिए यथा-संशोधित, के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत अधिसूचित झारखंड के 33-डुमरी विधानसभा क्षेत्र, केरल के 98-पुतुप्पली विधानसभा क्षेत्र, त्रिपुरा के 20-बक्सनगर एवं 23-धनपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के 15-धूपगुड़ी (अ0जा0) विधानसभा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के 354-घोसी विधानसभा क्षेत्र और उत्तराखण्ड के 47-बागेश्वर (अ0जा0) विधानसभा क्षेत्र के लिए चल रहे उप निर्वाचनों में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए व्यक्तियों की एक श्रेणी होंगे ।

आदेश से,

(नरेंद्र ना. बुटोलिया),
वरिष्ठ प्रधान सचिव ।

उपरोक्त अधिसूचना को अंग्रेजी में अनुवाद सहित, झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(के० रवि कुमार),
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

10th August, 2023

No.52/2023/SDR/Vol.I--In pursuance of the provisions of clause (c) of Section 60 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby specifies that the elector above the age of 80 years and elector with physical disability (benchmark) as already marked/flagged in the data base of the electoral rolls of the State and, who requests for voting by postal ballot paper and subject to the verification of his request by Returning Officer concerned, would be a class of persons to give his vote by postal ballot in the ongoing bye elections to the 33-Dumri Assembly Constituency of Jharkhand, 98-Puthuppally Assembly Constituencies of Kerala, 20-Boxanagar and 23-Dhanpur Assembly Constituency of Tripura, 15-Dhupguri(SC) Assembly Constituency of West Bengal, 354-Ghosi Assembly Constituency of Uttar Pradesh and 47-Bageshwar(SC) Assembly Constituency of Uttarakhand notified under Section 30 of the Representation of the People Act, 1951, as per the provisions in Part-III A of the Conduct of Elections Rules, 1961, as amended vide Ministry of Law & Justice, Govt. of India, Notification SO No. 3786(E), dated 22nd October, 2019, and the directions and guidelines issued by the Election Commission, on the subject.

By Order,

(Narendra N. Butolia),
Sr. Principal Secretary
